न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, चित्रकूट|

मुकदमा नं0-222 /2019

सरकार बनाम पप्पू उर्फ भूपेन्द्र सिंह
एन.सी.आर. सं0-63/2017
धारा-323,504 ,506 भा.दं.सं.
थाना-रैपुरा, चित्रकूट

आदेश

12/02/2024

पत्रावली पेश हुई| अभियुक्त **पप्पू उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र रामकल्याण** की ओर से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त है| प्रार्थी गरीब व्यक्ति है जिस कारण प्रार्थी मुकदमा लड़ने में असमर्थ है| जिस कारण अपना जुर्म स्वीकार कर रहे हैं|

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया|

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि थाना रैपुरा द्वारा एन.सी.आर. सं0-63/2017, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा.दं.सं. के तहत अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप -पत्र प्रेषित किया गया है | आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया गया है|

अभिकथित अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा प्रस्तुत मामले में अपना जुर्म स्वीकार किया गया है| अभियुक्त को यह चेतावनी दी गयी है कि यदि वे मामले में जुर्म स्वीकारोक्ति करते है तो उन्हें उस अपराध में जिसमें वे जुर्म स्वीकार करते है, में विहित अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जा सकता है|

न्यायालय द्वारा पुनः पूछे जाने पर उक्त अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि वह मामले में स्वेच्छया से जुर्म स्वीकारोक्ति करना चाहता है और उस अपराध में भी अधिकतम दण्ड भोगने के लिए तैयार है|

पुनः अभियुक्त एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया|

चूंकि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत किया गया और वे मामले में स्वेच्छया से जुर्म को कारित किया जाना स्वीकार कर रहे है , अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति से न्यायालय के समय तथा धन की बचत हुई है| अतः प्रस्तुत मामले में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारित किये जाने योग्य है तथा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त अभियुक्त को धारा 323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है| दोषसिद्ध अभियुक्त को एन .सी.आर. सं0-63/2017, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा.दं.सं. में दोष सिद्ध किया जाता है| उक्त अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है| दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो| अभियुक्त न्यायालय उपस्थित है|

अभियुक्त की ओर से यह कहा गया है कि वह गरीब व्यक्ति है। मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। अतः उन्हें मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किया जाए। वे जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न स्थानों पर जाकर मजदूरी करता है और रोजी-रोटी कमाता है। ऐसी स्थिति में यदि उसे सदाचरण की परीविक्षा पर छोड़ा जाता है , तो पुनः उनके जीविकोपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और वह मजदूरी के सिलसिले में बाहर नहीं जा सकेगा। ऐसी स्थिति में दोषसिद्ध द्वारा प्रार्थना की गयी कि उसे मात्र अर्थदण्ड के दण्डित किया जाए और वे अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने के लिए तैयार है।

उक्त अभियुक्त को दण्ड पर सुना।

आदेश

दोषसिद्ध **पप्पू उर्फ भूपेन्द्र सिंह पुत्र रामकल्याण** को एन.सी.आर. सं0-63 /2017, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा.दं.सं. में दोष सिद्ध करते हुए प्रकरण में दोषसिद्ध को धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध में मु0-**800/- रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है , अर्थदण्ड जमा न करने पर **एक दिन** की सजा भुगतेगा, धारा 504 भा.दं.सं. के अपराध में मु0-**500/- रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड जमा न करने पर **एक दिन** की सजा भुगतेगा तथा धारा 506 भा.दं.सं. के अपराध में मु0-**300/- रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड जमा न करने पर दोषसिद्ध **एक दिन** की अतिरिक्त सजा भुगतेगा।

(अंजलिका प्रियदर्शिनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
चित्रकूट।
J.O. CODE- UP 3752